प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन न्यायाधीश : श्रीमती गरिमा शर्मा)

एम.ए.सी.टी.नं.- 57/2024
संस्थित दिनांक- 30.01.2024
पंजीयन दिनांक- 18.06.2024
CNR No.-CGKB010001332024

1. सुजाता कंवर, पति- स्व० बैजनाथ कंवर, उम्र- लगभग 24 वर्ष, निवासी- ग्राम हेडसपुर, जिला- जांजगीर चांपा (छ०ग०)
2. लीला बाई, पति- गुमान सिंह, उम्र- लगभग 55 वर्ष, निवासी- ग्राम हेडसपुर, जिला- जांजगीर चांपा (छ०ग०)
3. गुमान सिंह, पिता- टिकैत राम, उम्र- लगभग 60 वर्ष, निवासी- ग्राम हेडसपुर, जिला- जांजगीर चांपा (छ०ग०)
4. शिवम कंवर, पिता- स्व० बैजनाथ कंवर, उम्र- लगभग 05 वर्ष, निवासी- ग्राम हेडसपुर, जिला- जांजगीर चांपा (छ०ग०)
5. प्रीत कंवर, पिता- स्व० बैजनाथ कंवर, उम्र- लगभग 06 माह, निवासी- ग्राम हेडसपुर, जिला- जांजगीर चांपा (छ०ग०)

आवेदक क्रमांक 04 व 05 नाबालिग द्वारा बलि एवं प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सुजाता कंवर, पति- स्व० बैजनाथ कंवर, निवासी- ग्राम हेडसपुर, जिला- जांजगीर चांपा (छ०ग०)

------ **आवेदकगण**

" **विरूद्ध** "

1. बिजेन्द्र कुमार कंवर, पिता- लक्ष्मी नारायण कंवर, उम्र- लगभग 34 वर्ष, निवासी-ग्राम तिलकेजा, तह० एवं जिला-कोरबा (छ०ग०)
2. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़, रायपुर, द्वारा- जिला- पुलिस अधीक्षक कोरबा, पता- एस०पी० कार्यालय, आई०टी०आई० चौक कोरबा, जिला- कोरबा (छ०ग०)

------ **अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वारा श्री महेन्द्र अग्रवाल अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक- 01 द्वारा श्री रोमेश सिंह अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक- 02 द्वारा श्री सुनील कुमार सोनवानी, विशेष लोक अभियोजक।

-:: **अधिनिर्णय** ::-

(आज दिनांक- 14.01.2026 को पारित)

1- आवेदकगण के द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 166 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत 96,00,000/-(छियान्वे लाख) रूपये की क्षतिपूर्ति बाबत् पेश किया गया है।

2- प्रकरण में यह अविवादित है कि घटना में आलिप्त वाहन मिनी बस क्रमांक-सी०जी०-03-5354 को घटना के समय अनावेदक क्रमांक 01 बिजेन्द्र कुमार कंवर चला रहा था तथा उक्त वाहन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छ०ग० रायपुर के नाम पर पंजीकृत था।

3- आवेदक का आवेदन संक्षेप में यह है कि दिनांक 27.09.2023 को शाम लगभग 06.30 बजे मृतक बैजनाथ कंवर अपने मोटर सायकल में अपने मित्र रवि यादव को बैठाकर जा रहा था तभी घटनास्थल ग्राम पतरापाली मेन रोड के पास, थाना खरसिया, जिला- रायगढ़ छ०ग० में अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मिनी बस के गति से नियंत्रण खोकर लहराते हुए मोटर सायकल में आकर टक्कर मार दिया, जिसके कारण

मोटर सायकल क्षतिग्रस्त हो गया और बैजनाथ कंवर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी एवं रवि यादव की मृत्यु ईलाज के दौरान चिकित्सालय में हो गयी थी।

4- उक्त घटना की रिपोर्ट थाना खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ०ग०) में पंजीबद्ध किया गया। घटना के समय मृतक की उम्र 30 वर्ष थी। वह ड्राईवर का कार्य कर 18,000/- रूपये मासिक आय अर्जित करता था। दुर्घटना से मृतक की मृत्यु कारित हुई है। अतः आवेदकगण को समस्त मदों में कुल 96,00,000/-(छियान्वे लाख) रूपये दुर्घटना दिनांक से रकम अदायगी दिनांक तक 18% वार्षिक ब्याज की दर से अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

5- प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अपने जवाबदावा में आवेदन पत्र के सभी प्रमुख अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अपनी प्रतिरक्षा में बताया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 वैध एवं प्रभावी लायसेंसधारी है, जिसका क्रमांक-CG12 20090003139 वैधता दिनांक 18.09.2024 तक है। अनावेदक क्रमांक 01 वाहन चलाने की पात्रता रखता है तथा वह वाहन को मोटर यान नियमों के शर्तों के

अनुरूप ही चलाता है। उसके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं किया गया है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6- अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा अपने जवाबदावा में आवेदन के सभी प्रमुख अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अपनी प्रतिरक्षा में बताया गया है कि मृतक बैजनाथ कंवर स्वयं अपनी मोटर सायकल को लापरवाही से तेजी पूर्वक चलाते हुए, अनियंत्रित होकर शासकीय वाहन क्रमांक- सीजी-03-5354 को ठोकर मारकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जिसके लिए मृतक बैजनाथ कंवर स्वयं जिम्मेदार था। घटना दिनांक को उक्त मोटर सायकल में तीन लोग सवार थे तथा वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए स्वयं की लापरवाही से अनावेदक क्रमांक 02 के शासकीय वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

7- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न वादप्रश्न निर्मित किये गये हैं, जिनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैंः-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 27.09.2023 को शाम	**"हाँ"**

	लगभग 06.30 बजे ग्राम पतरापाली मेन रोड के पास, थाना-खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ०ग०) में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक बैजनाथ कंवर द्वारा चलाये जा रहे मोटर सायकल क्रमांक- सीजी-11-बी एफ-8549 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया गया, जिससे आई गंभीर चोटों से बैजनाथ कंवर की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई ?	
2.	क्या दिनांक 27.09.2023 को दुर्घटना मोटरसायकल चालक मृतक बैजनाथ कंवर के द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन से घटित हुई, यदि हाँ तो प्रभाव ?	**"प्रमाणित नहीं"**
3.	क्या, आवेदिकागण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो किससे एवं कितना ?	अनावेदकगण क्रमांक **01** व **02** से संयुक्ततः एवं पृथकतः **26,09,200/- (छब्बीस लाख नौ हजार दो सौ) रूपये, 9%** वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करने के अधिकारी हैं"
4.	सहायता एवं वाद व्यय ?	**अंतिम पैरा के अनुसार**

निष्कर्ष एवं उसके आधार

वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 पर सकारण निष्कर्ष

8- आवेदिका सुजाता कंवर अ०सा०01 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 27.09.2023 को शाम लगभग 06.30 बजे ग्राम पतरापाली मेन रोड के पास, थाना- खरसिया, जिला- रायगढ़ छ०ग० की है। साक्षी ने बताया है कि उसका पति बैजनाथ कंवर अपने मित्र रवि यादव को मोटरसायकल में पीछे बैठाकर जा रहा था तभी घटनास्थल के पास अनावेदक क्रमांक 01 बिजेन्द्र कुमार द्वारा मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मिनी बस के गति से नियंत्रण खोकर लहराते हुए मोटर सायकल में टक्कर मार दिया जिसके कारण मोटर सायकल क्षतिग्रस्त हो गया और उसके पति बैजनाथ कंवर एवं रवि यादव दोनों को गंभीर व संघातिक चोटें आई जिसके कारण उसके पति बैजनाथ कंवर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी और रवि यादव की ईलाज के दौरान चिकित्सालय में दुर्घटना दिनांक को ही मृत्यु हो गयी थी।

9- अधिकरण के समक्ष आवेदक ने उक्त दुर्घटना के संबंध में दर्ज

आपराधिक प्रकरण के प्रथम सूचना पत्र प्र०पी० 01, मोटर सायकल का जप्ती पत्रक प्र०पी० 02, मिनी बस का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राईविंग लाईसेंस की जप्ती पत्रक प्र०पी० 03, मिनी बस का जप्ती पत्रक प्र०पी० 04, वाहन मैकेनिकल मुलाहिजा प्र०पी० 05, मर्ग क्रमांक 155/21 प्र०पी० 06, 0/2023 में कायमी मर्ग इंटीमेशन प्र०पी० 07, नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 08, मिनी बस का रजिस्ट्रेशन प्र०पी० 09, शव सुपुर्दनामा पावती की सत्यप्रतिलिपि प्र०पी० 10, मृतक बैजनाथ कंवर का शव परीक्षण प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि प्र०पी० 11 एवं मृतक के नियोक्ता मसर्स सुनील कुमार अग्रवाल के यहां काम करने के संबंध में उपस्थिति/हाजिरी पत्रक प्र०पी० 12 को प्रस्तुत किया है।

10- प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं थी इसलिए वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से घटित हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट उसने थाने में नहीं लिखायी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि

उसके पति शराब पीकर तीन सवारी बैठाकर उक्त मोटर सायकल को तेजी वं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 पर जबरन टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किया था। साक्षी ने यह भी गलत होना बताया है कि उसके पति शराब का सेवन कर मोटर सायकल को चला रहे थे।

11- साक्षी टीकाराम अ०सा० 02 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 27.09.2023 को शाम लगभग 06.30 बजे, ग्राम पतरापाली, मेन रोड के पास, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ छ०ग० की है। साक्षी ने बताया है कि वह और रवि यादव अपने मित्र बैजनाथ कंवर के मोटर सायकल में पीछे बैठकर जा रहे थे तभी घटना स्थल के पास बिजेन्द्र कुमार द्वारा मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मिनी बस के गति से नियंत्रण खोकर लहराते हुए मोटर सायकल में टक्कर मार दिया, जिसके कारण मोटर सायकल क्षतिग्रस्त हो गया और उसे, रवि यादव एवं बैजनाथ कंवर को गंभीर व संघातिक चोट आई जिसके कारण बैजनाथ कंवर की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी और रवि यादव की ईलाज के दौरान चिकित्सालय में

दुर्घटना दिनांक को ही मृत्यु हो गयी थी। साक्षी ने बताया है कि घटना किस प्रकार घटित हुई इसके बारे में उसने पुलिस व मृतकगण के परिजनों को बताया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है। साक्षी ने बताया है कि घटना के समय मोटर सायकल को बैजनाथ चला रहा था। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि मोटर सायकल के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 में ठोकर मारा गया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को वाहन चालक बैजनाथ शराब पीकर गाड़ी चला रहा था।

12- अनावेदक क्रमांक 02 की ओर से अपने तर्क में कहा गया है कि मोटर सायकल के चालक मृतक बैजनाथ के स्वयं की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है। अधिकरण के समक्ष जो प्रथम सूचना पत्र प्र०पी० 01 पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर मोटर सायकल को ठोकर मारी गयी है। इस अधिकरण के समक्ष घटना

के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी टीकाराम अ०सा० 02 ने अपने बयान में स्पष्ट बताया है कि उनका एक्सीडेंट मिनी बस क्रमांक-सीजी-03-5354 के चालक द्वारा टक्कर मारे जाने से हुई थी। अनावेदक क्रमांक 01 बिजेन्द्र कुमार कंवर, जो दुर्घटना दिनांक को वाहन चला रहा था तथा अनावेदक क्रमांक 02 वाहन स्वामी, ने भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। अनावेदक क्रमांक 01 बिजेन्द्र कुमार कंवर के द्वारा अधिकरण के समक्ष जवाबदावा में इस तथ्य को खंडित करने का प्रयास नहीं किया गया है कि घटना दिनांक को वह मिनी बस क्रमांक-सीजी-03-5354 को नहीं चला रहा था। अनावेदक क्रमांक 01 ने आवेदक साक्षियों को उनके प्रतिपरीक्षण के दौरान इन बिंदुओं पर कोई चुनौती नहीं दी है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि उक्त मिनी बस वाहन दुर्घटना में आलिप्त थी, क्योंकि यदि उक्त मिनी बस वाहन दुर्घटना में आलिप्त नहीं होता तो निश्चित रूप से पंजीकृत स्वामी एवं चालक के द्वारा इस संबंध में आपत्ति की गई होती।

13- आवेदक के दुर्घटना के संबंध में कथनों की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से होती है। **न्यायदृष्टांत पवन बाई विरूद्ध दलजीत**

कौर (2011)1 एस०सी०जे० 2391, दीवाकर शुक्ला विरूद्ध अशोक कुमार(2006)2 दु०मु०प्र० 255 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर दुर्घटना होना प्रमाणित हो जाये तो उपधारणा की जा सकती है।

14- **न्यायदृष्टांत राजस्थान स्टेट ट्रांसपोरेट कार्पोरेशन विरूद्ध नंदकिशोर (2002) 1 दु०मु०प्र० 366** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में प्रतिकर का निर्धारण करते समय संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए तथा उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस अथवा चिकित्सक द्वारा यदि कोई दस्तावेज पदीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किया गया हो तब, जब तक मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से खण्डन न किया गया हो तब तक उस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं होता है।

15- अनावेदकगण के द्वारा दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों को कोई चुनौती नहीं दी गई है। साथ में मोटर दुर्घटना दावा के हितकारी विधायन स्वरूप को देखते हुए आहत के हितों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत विमला देवी एवं अन्य विरूद्ध हिमांचल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य(2009)3 एसीजे 1725** में यह अभिनिर्धारित

किया गया है कि दुर्घटना दावा के मामलों में दुर्घटना को प्रमाणित करने के लिए दावेदार को कठोर प्रमाण देना संभव नहीं होता है। दावेदार को उनके मामले को मात्र अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करना होता है। युक्तियुक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित करने का मानक इन प्रकरणों में प्रायोज्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यदि इन न्यायदृष्टांतों में अभिनिर्धारित बिन्दुओं का अवलोकन किया जाये तो यही स्थिति मानी गई है कि दुर्घटना के बिन्दु पर कड़े सबूतों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, संभावनओं की प्रचुरता दर्शाना ही पर्याप्त है।

16- ऐसे में अधिकरण के समक्ष आवेदक के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दिनांक 27.09.2023 को अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा मिनी बस वाहन क्रमांक- सीजी-03-5354 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित कर दिया गया, जिससे मृतक बैजनाथ कंवर की मृत्यु कारित हुई है। अतः **वादप्रश्न क्रमांक 01** का निष्कर्ष सकारात्मक **"हाँ"** तथा **वादप्रश्न क्रमांक 02** का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं"** दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 03 पर सकारण निष्कर्ष

17- क्षतिपूर्ति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित **न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 एसीजे 1298 तथा न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय शेठ्ठी 2017 ए०सी०जे० 2700** में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर गणना की जा रही है, किंतु स्वयं आवेदकगण द्वारा की गई मांग की सीमा को भी विचार में रखा जा रहा है। आवेदिका क्रमांक 01 मृतक की पत्नी, आवेदिका क्रमांक 02 मृतक की माता, आवेदक क्रमांक 03 मृतक का पिता एवं आवेदक क्रमांक 04 व 05 मृतक की नाबालिग संताने हैं। जो निश्चित रूप से मृतक पर आश्रित थे। ऐसे में सरला वर्मा के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर आवेदक क्रमांक 01 से 05 को मृतक पर आश्रित होना पाया जाता है।

18- अधिकरण के समक्ष आवेदक ने अपने दावा आवेदन में मृतक की आयु 30 वर्ष होना बताया है। यद्यपि आयु के संबंध में आवेदक की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, किंतु प्र०पी०11 के पोस्ट मार्टम परीक्षण प्रतिवेदन में मृतक की आयु 30 वर्ष होना लेख है। ऐसे

में मृत्यु दिनांक को मृतक की आयु क्षतिपूर्ति की गणना के उद्देश्य से 30 वर्ष होना पाया जाता है। ऐसे में सरला वर्मा के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में मृतक की आयु 30 वर्ष के आधार पर 17 का गुणांक अपनाया जा रहा है।

19- आवेदकगण ने अधिकरण के समक्ष यह बताया है कि मृतक ड्राईवरी का कार्य कर 18,000/- रूपये मासिक आय अर्जित करता था। अधिकरण के समक्ष मृतक की आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। किंतु अधिकरण के समक्ष आवेदक सुजाता कंवर के यह कथन कि मृतक ड्राईवर था, को प्रतिपरीक्षण में खंडित नहीं किया गया है। प्र०पी० 12 का दस्तावेज जो अधिकरण के समक्ष पेश किया गया है, उसमें आवेदक बैजनाथ कंवर को मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल रायगढ़ के यहां ड्राईवर होना लेख किया गया है। ऐसे में आय के संबंध में किसी दस्तावेज के आभाव में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी जो शासन द्वारा अभिनिर्धारित की जाती है, को मानक मानकर नोशनल आय का निर्धारण किया जाना उचित होगा। मृतक की मृत्यु सितंबर 2023 में हुई है। ऐसे में क्षतिपूर्ति की गणना के लिए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त

कोरबा का परिपत्र के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश को आधार मानते हुए मृतक के कार्य को देखते हुए उसकी नोशनल आय 11,000/- रूपये मासिक अभिनिर्धारित की जाती है। जिसके आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना की जा रही है।

20- मृतक की मासिक आय 11,000/-(ग्यारह हजार) रूपये माना गया है। जिससे उसकी वार्षिक आय 1,32,000/- रूपये होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रणय शेठ्ठी के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि जहां मृतक स्वरोजगार करता है या निश्चित आय पर हो, तो वहां उसकी आय में 40% की वृद्धि की जानी चाहिए, यदि मृतक की आयु 40 वर्ष से कम है। ऐसे में मृतक की आय में 40% (52,800/-) की वृद्धि किये जाने पर मृतक की वार्षिक आय 1,84,800/-(एक लाख चौरासी हजार आठ सौ) रूपये होती है।

21- मृतक पर आश्रितों की संख्या 05 होना पाया गया है। ऐसे में आश्रितों की संख्या को देखते हुए मृतक द्वारा स्वयं पर व्यय किये जाने वाली राशि 1/4 की कटौती की जा रही है, जिससे मृतक द्वारा स्वयं पर व्यय की राशि 46,200/-(छियालीस हजार दो सौ) रूपये होती है तथा

आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता राशि **1,38,600/-(**एक लाख अड़तीस हजार छः सौ**)** रूपये होती है।

22- प्रकरण में मृतक की आयु को देखते हुए **17** का गुणांक अपनाया गया है। ऐसे में मृतक के आश्रितों की कुल आश्रितता राशि **23,56,200/- (**तेईस लाख छप्पन हजार दो सौ**)** रूपये होती है। यद्यपि आवेदकगण ने अंतिम संस्कार एवं अन्य पारंपरिक मदों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है लेकिन **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेठ्ठी एवं अन्य 2017(16) एस०सी०सी० 680** के परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप उन्हें पारंपरिक मदों में भी राशि दिलाये जाने की आवश्यकता है। **न्यायदृष्टांत मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध नानूराम एवं अन्य 2018(18) एस०सी०सी० 130** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिपेक्ष्य में आवेदिका क्रमांक **01** सुजाता कंवर को Spousal Consortium, आवेदक क्रमांक **02** व **03** को Fillial Consortium एवं आवेदक क्रमांक **04** व **05** को Parental Consortium दिलाया जाना आवश्यक है। **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध प्रणय शेट्ठी व**

अन्य का निर्णय दिनांक 31.10.2017 को दिया गया था, जिसमें पारंपरिक हेड में प्रति तीन वर्ष में **10%** वृद्धि किया जाना है। ऐसे में आवेदिका क्रमांक **01** को Spousal Consortium के मद में **44,000/-** (चवालीस हजार) रूपये, आवेदक क्रमांक **02** व **03** को Fillial Consortium के मद में **44,000-44,000/-(**चवालीस-चवालीस हजार**)** रूपये तथा आवेदक क्रमांक **04** व **05** को Parental Consortium के मद में **44,000-44,000/-(**चवालीस-चवालीस हजार**)** रूपये प्रदान किये जाते हैं। संपदा की हानि के मद में आवेदकगण को **16,500/-(**सोलह हजार पांच सौ**)** रूपये एवं अंत्येष्टी व्यय में **16,500/-(**सोलह हजार पांच सौ**)** रूपये प्रदान किया जाता है।

23- अतः आवेदकगण को विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार दिलाया जाना उचित होगा -

क्रमांक	क्षतिपूर्ति के मद	क्षतिपूर्ति की राशि
01	आश्रितता के मद में (आवेदक क्रमांक 01 से 05 को)	23,56,200/-(तेईस लाख छप्पन हजार दो सौ) रूपये
02	दाह संस्कार के मद में (आवेदक क्रमांक 01 से 05 को)	16,500/- (सोलह हजार पांच सौ) रूपये
03	संपदा की हानि के मद में (आवेदक क्रमांक 01 से 05 को)	16,500/- (सोलह हजार पांच सौ) रूपये

04	Spousal Consortium के मद में (आवेदिका क्रमांक 01 को)	44,000/-(चवालीस हजार) रूपये
05	Fillial Consortium के मद में (आवेदिका क्रमांक 02 को)	44,000/-(चवालीस हजार) रूपये
06	Fillial Consortium के मद में (आवेदक क्रमांक 03 को)	44,000/-(चवालीस हजार) रूपये
07	Parental Consortium के मद में (आवेदक क्रमांक 02 को)	44,000/-(चवालीस हजार) रूपये
08	Parental Consortium के मद में (आवेदक क्रमांक 03 को)	44,000/- (चवालीस हजार) रूपये
	कुल योग	**26,09,200/- (छब्बीस लाख नौ हजार दो सौ) रूपये**

24- प्रकरण में यह प्रमाणित है कि मृतक बैजनाथ कंवर की मृत्यु वाहन मिनी बस क्रमांक- सीजी-03-5354 को अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना में कारित हुई थी। इस प्रकरण में आवेदक के द्वारा उक्त वाहन के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 02 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छ०ग० रायपुर के नाम पर पंजीकृत था। दुर्घटना में उक्त यान का दायित्व होना पाया गया है।

25- मोटरयान अधिनियम में यह उपबंधित है कि चालक के कृत्य के लिए वाहन स्वामी दायित्वाधीन होता है। अतः आवेदकगण को क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्वाधीन संयुक्ततः अथवा पृथकतः अनावेदक क्रमांक 01 व 02 को अभिनिर्धारित किया जाता है। क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी की प्रथमतः जिम्मेदारी अनावेदक क्रमांक 02 पर होगी।

26- आवेदकगण द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की मांग की गई है। मोटरयान अधिनियम की धारा 171 के अनुसार जहां कोई दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किये गये प्रतिकर के दावे को मंजूर करता है, वहां ऐसा अधिकरण यह निर्देश दे सकेगा कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा जो उस तारीख से दावा करने की तारीख से पहले की न होगी जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण ब्याज भी दिया जाये। क्षतिपूर्ति की प्रकरण को देखते हुए आवेदक को 9 प्रतिशत ब्याज देना उचित होगा। अतः वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष **"अनावेदकगण क्रमांक 01 व 02 से संयुक्ततः एवं पृथकतः 26,09,200/- (छब्बीस लाख नौ हजार दो सौ) रूपये, 9% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करने का अधिकारी होना"** दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय

27- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से आवेदकगण, अनावेदकगण के विरूद्ध अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। जिससे आवेदकगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 के विरूद्ध निम्नलिखित अवार्ड पारित किया जाता है -

1- अनावेदकगण क्रमांक 01 व 02 संयुक्ततः या पृथकतः 26,09,200/- (छब्बीस लाख नौ हजार दो सौ) रूपये की क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण को एक माह के भीतर अदा करेंगे। क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक 02 का होगा।

2- उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर अनावेदकगण क्र० 01 व 02 दावा दायरी दिनांक 30.01.2024 से अंतिम अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करेंगे।

3- कुल क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित भुगतान होने पर संपूर्ण राशि में से 09-09 लाख रूपये की राशि आवेदक क्रमांक 04 एवं 05 को प्रदान की जाये। आवेदक क्रमांक 04 एवं 05

नाबालिग हैं। अतः उन्हें प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि उनके बालिग होने तक की अवधि के लिए उनके नाम पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधी जमा योजना के तहत जमा किया जाये। उक्त राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज आवेदिका क्रमांक 01 प्रत्येक तिमाही पर प्राप्त करने की अधिकारी होगी।

4- कुल क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित भुगतान होने पर संपूर्ण राशि में से 4,09,200/- (चार लाख नौ हजार दो सौ) रूपये ब्याज सहित आवेदिका क्रमांक 01 को प्रदान की जाये। जिसमें से 50% राशि ब्याज सहित एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से आवेदिका क्रमांक 01 को प्रदान किया जाये तथा शेष 50% राशि तीन वर्ष की अवधि तक के लिए आवेदिका क्रमांक 01 के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधी जमा योजना के तहत जमा किया जाये। उक्त राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज आवेदिका क्रमांक 01 प्रत्येक तिमाही पर प्राप्त करने की अधिकारी होगी।

5- कुल क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित भुगतान होने पर संपूर्ण

राशि में से 02-02 लाख रूपये आवेदक क्रमांक 02 व 03 को प्रदान की जाये। जिसमें से 50% राशि एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से तथा 50% राशि तीन वर्ष की अवधि तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधी जमा योजना के तहत उनके नाम पर जमा किया जाये। उक्त राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज आवेदक क्रमांक 02 व 03 प्रत्येक तिमाही पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

6- अनावेदकगण स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर तालिका अनुसार देय होगा।

28- तदानुसार व्यय तालिका तैयार किया जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/-

(श्रीमती गरिमा शर्मा)
प्रथम अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

अधिनिर्णय मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/-

(श्रीमती गरिमा शर्मा)
...ना दावा अधिकरण
...ा-कोरबा (छ.ग.)

GARIMA SHARMA
Digitally signed by GARIMA SHARMA